न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 76/2018 – निगरानी

1. हरफूल चौधरी पुत्र बनराज चौधरी निवासी सरेरी बढारों की तहसील हुरडा जिला भीलवाडा	बनाम	1. लेहरू लाल पुत्र नानूराम कुम्हार निवासी सरेरी बढारों की तहसील हुरडा 2. ग्राम पंचायत सरेरी जरिये सचिव ग्राम पंचायत सरेरी पंचायत समिति हुरडा तहसील हुरडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आदेश ग्राम पंचायत सरेरी पं.सं. हुरडा पटटा सं. 40 दिनांक 21.10.2016

उपस्थित –

1. श्री राजकुमार वैष्णव अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री दीपक कुमार तिवाडी अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से बहस में भाग नही लिया

प्रकरण संख्या – 04/2019 – निगरानी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा	बनाम	1. लेहरू लाल पुत्र नानूराम कुम्हार निवासी सरेरी बढारों की तहसील हुरडा 2. ग्राम पंचायत सरेरी जरिये सचिव ग्राम पंचायत सरेरी पंचायत समिति हुरडा तहसील हुरडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आदेश ग्राम पंचायत सरेरी पं.सं. हुरडा पटटा सं. 40 दिनांक 21.10.2016

उपस्थित –

1. श्री बी. एल. बापना अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. गैर निगराकार सं. 01 उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 24.04.2019

प्रकरण सं. 76/2018 एवं 04/2019 में अंकित आवासीय पटटा सं. 40 दिनांक 21.10.2016 की विषय वस्तु समान होने से दोनों प्रकरणों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार ग्राम पंचायत सरेरी पंचायत समिति हुरडा का सरपंच है। गैर निगराकार सं.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

01 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने पुश्तैनी भूखण्ड का पटटा जारी कराने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर पत्रावली कायम कर गैर निगराकार सं. 01 के ग्राम सरेरी में नपती पूर्वी भुजा 20 फीट, पश्चिमी भुजा 40 फीट, उत्तरी भुजा 40 फीट, दक्षिणी भुजा 40 फीट होकर पटटा जारी किया गया। निगराकार को हाल ही में जानकारी में आया कि गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जिस जायदाद का पटटा जारी किया गया है, जो आबादी भूमि नही होकर आबादी भूमि से सटी हुयी चारागाह भूमि है। जिसे न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त पटटा जारी होने से चारागाह भूमि प्रभावित होती है। भविष्य में उक्त पटटे के आधार पर किसी प्रकार के मुकदमेबाजी नही हो, इस कारण से न्यायहित में उक्त पटटे को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 02 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित पटटे को निरस्त कराया जावे।

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण सं. 76/2018 इस न्यायालय में दिनांक 19.02.2018 को एवं प्रकरण सं. 04/2019 दिनांक 11.01.2019 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत सरेरी से पत्रावली तलब की गयी। गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने बहस में भाग नही लिया।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 6 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर निगराकार सं. 01 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने पुश्तैनी भूखण्ड का पटटा जारी कराने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर पत्रावली कायम कर गैर निगराकार सं. 01 के ग्राम सरेरी में नपती पूर्वी भुजा 20 फीट, पश्चिमी भुजा 40 फीट, उत्तरी भुजा 40 फीट, दक्षिणी भुजा 40 फीट होकर पटटा जारी किया गया। निगराकार को हाल ही में जानकारी में आया कि गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जिस जायदाद का पटटा जारी किया गया है, जो आबादी भूमि नही होकर आबादी भूमि से सटी हुयी चारागाह भूमि है। जिसे न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 02 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित पटटे को निरस्त कराया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार तहसीलदार हुरडा द्वारा प्रेषित क्रमांक/928–929 दिनांक 16.02.2018 अनुसार **''पटटा सं. 40 लेहरू लाल पिता नानूराम कुम्हार निवासी सरेरी के नाम का जारीशुदा होकर मौके पर राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 1141 रकबा 2.14 होकर चारागाह भूमि में है। मौके पर उक्त पटटा में दर्शायी भूमि पडत व खाली है।''**

विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा द्वारा प्रेषित पत्रांक/पसहु/स्था./2017–18/ 1951 दिनांक 22.02.2018 अनुसार '' **लेहरू पुत्र नानूराम कुम्हार निवासी सरेरी को बुक सं. 2253 पटटा सं. 40 दिनांक 21.10.2016 को**

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

आवासीय पटटा जारी किया गया। जिस पर किसी भी प्रकार का आवासीय निर्माण नही होकर खाली जगह पडी हुयी है।"

जबकि गैर निगराकार सं. 01 ने ग्राम पंचायत को प्रस्तुत अपने आवेदन में प्रार्थी का पुश्तैनी आवासीय मकान होना अंकित किया है। प्रकरण में गैर निगराकार 01 द्वारा उक्त पटटे पर कब्जा होने संबंधी एवं आवासीय मकान निर्मित होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। गैर निगराकार सं. 02 ने जो आवासीय भूमि का पटटा सं. 40 दिनांक 21.10.2016 को गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में चारागाह भूमि में जारी किया गया। जबकि चारागाह भूमि में आवासीय पटटा जारी करने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार गैर निगराकार सं. 02 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया पटटा सं. 40 विधि विरूद्व होकर प्रारम्भ से ही शून्य है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत सरेरी स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार हुरडा एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत सरेरी द्वारा जारी पटटा सं. 40 दिनांक 21.10.2016 की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में किस्म चारागाह है, को श्री लेहरू लाल पिता नानूराम कुम्हार निवासी सरेरी बढारों की तहसील हुरडा के पक्ष में ग्राम पंचायत सरेरी द्वारा जारी पटटा सं. 40 दिनांक 21.10.2016 विधि विरूद्व होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार एवं विकास अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इसी प्रकार किन्ही अन्य व्यक्तियों को चारागाह भूमि में पटटे जारी किये गये है तो जांच कर उनके विरूद्व निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हुरडा व विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा को प्रेषित किया जावे । निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत सरेरी को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा